

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
अधिसूचना

संख्या-02/क्ष० स्था०-15-04/2006-586 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार के अधीन क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग के पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति तथा अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

- 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ- (1) यह नियमावली "अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली 2019" कही जा सकेगी।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2 परिभाषाएँ।- इस नियमावली में जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो-

- (i) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार।
- (ii) "विभाग" से अभिप्रेत है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग।
- (iii) "आयोग" से अभिप्रेत बिहार कर्मचारी चयन आयोग।
- (iv) "संवर्ग" से अभिप्रेत है बिहार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग के विभिन्न कोटि के पद यथा- निम्नवर्गीय लिपिक, उच्च वर्गीय लिपिक, प्रधान लिपिक एवं कार्यालय अधीक्षक तथा समय-समय पर इस संवर्ग में सृजित होने वाले अन्य अराजपत्रित पद।
- (v) "सदस्य" या "संवर्ग के सदस्य से" अभिप्रेत है इस संवर्ग में नियुक्त कोई व्यक्ति।
- (vi) "मूल कोटि" से अभिप्रेत है इस संवर्ग का क्षेत्रीय निम्नवर्गीय लिपिक।
- (vii) "वर्ष" से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष अर्थात् 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष।
- (viii) "उपलब्ध रिक्ति" से अभिप्रेत है किसी वर्ष में संवर्ग में नये पदों के सृजन अथवा किसी अन्य कारण से उत्पन्न रिक्ति।
- (ix) "संवर्ग-नियंत्रि प्राधिकार/नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग।
- (x) "अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति" से अभिप्रेत है सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रित की तत्समय प्रवृत्त परिपत्रों एवं अनुदेशों के अनुसार अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति।

3- संवर्ग की संरचना निम्नवत् होगी-

क्रमांक	कोटि का नाम	स्तर	नियुक्ति प्राधिकार
1	निम्नवर्गीय लिपिक	मूल कोटि (अराजपत्रित)	निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग
2	उच्चवर्गीय लिपिक	प्रथम प्रोन्नति स्तर (अराजपत्रित)	तथैव
3	प्रधान लिपिक	द्वितीय प्रोन्नति स्तर (अराजपत्रित)	तथैव
4	कार्यालय अधीक्षक	तृतीय प्रोन्नति स्तर (अराजपत्रित)	तथैव

4- यह एक राज्य स्तरीय संवर्ग होगा। राज्य सरकार समय-समय पर संवर्ग के विभिन्न कोटि के पदों का स्वीकृत बल विनिश्चित कर सकेगी और इस नियमावली में उल्लिखित स्वीकृत पदों के अतिरिक्त, इस संवर्ग के स्थायी/अस्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति दे सकेगी। संवर्ग के विभिन्न कोटि के पदों का वेतनमान/वेतन-स्तर यही होगा, जो राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर स्वीकृत किया जाएगा।

5- भर्ती-

(1) निम्नवर्गीय लिपिक के लिये सृजित कुल पदों के पचासी प्रतिशत (85%) पदों में से दस प्रतिशत (10%) प्रतिशत पद अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु आरक्षित रहेंगे। शेष पदों पर आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की जाएगी। निम्नवर्गीय लिपिक के शेष पन्द्रह प्रतिशत (15%) पदों को कार्यालय परिचारियों के बीच से, जो लिपिक के पद पर नियुक्ति की अपेक्षित अर्हता रखते हों, यरीयता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकार प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल तक उपलब्ध रिक्तियों की गणना करेगा और 30 अप्रैल तक आयोग को आरक्षण कोटिबद्ध अधियाचना भेजेगा।

(3) आयोग उपलब्ध कराई गई रिक्तियों को विहित रीति से विज्ञापित करेगा और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन कर नियुक्ति प्राधिकार को मेधाक्रम में अभ्यर्थियों के नाम की अनुशंसा करेगा। विभाग में मेधासूची की वैधता अनुशंसा प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष तक रहेगी।

(4) नियुक्ति प्राधिकार अनुशंसित अभ्यर्थी की सर्वप्रथम परीक्षा पर दो वर्षों के लिए नियुक्ति कर सकेगा।

6- अर्हताएँ-

(1) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण के ज्ञान के साथ इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण या उसके समकक्ष होगी।

(2) भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होगी और अधिकतम उम्र वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाय।

7- आरक्षण- राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा, समय समय पर विहित नियम एवं प्रक्रिया के अनुसार, नियुक्ति एवं प्रोन्नति में, आरक्षण/रोस्टर नीति का अनुपालन आवश्यक होगा।

8- प्रोन्नति द्वारा भर्ती- नियुक्ति प्राधिकार निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति की अर्हता रखने वाले कार्यालय परिचारियों की वरीयता सूची तैयार करेगा। प्रोन्नत कर्मियों के लिए प्रोन्नति की तिथि से एक साल के अन्दर कम्प्यूटर दक्षता परीक्षा एवं हिन्दी टिप्पण/प्रावरण परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा अन्यथा अगली वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।

9- परीक्षा- प्रत्येक सीधी नियुक्ति परीक्षा पर दो वर्षों के लिए होगी। परीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर लिखित रूप से अभिलिखित किये जाने वाले कारणों के आधार पर इसका विस्तार एक वर्ष के लिए नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाया जाय तो संबंधित परीक्षाधीन व्यक्ति को सेवामुक्त किया जा सकेगा।

10- संपुष्टि:- परीक्षा अवधि की संतोषजनक समाप्ति, हिन्दी टिप्पण एवं प्रावरण परीक्षा, कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा तथा विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता के बाद परीक्षाधीन व्यक्ति की सेवा संपुष्टि की जा सकेगी।

11- विभागीय परीक्षा- (1) संवर्ग में सभी माध्यमों से नियुक्त सदस्यों के लिए विभागीय परीक्षा के विषय/पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का अवधारण तथा संचालन राजस्व पर्वद करेगा।

(2) इस संवर्ग के लिए सम्पुष्टि एवं प्रोन्नति हेतु राजस्व पर्वद द्वारा विहित एवं अवधारित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

12- क्षेत्रीय कार्यालयों में दिनांक-20.12.2000 को या पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत निम्नवर्गीय लिपिक कोटि से ऊपर उच्चवर्गीय कोटि या उसके समकक्ष कोटि/पदनाम से कार्यरत 4000-6000 के तत्सम वेतनमान में कार्यरत लिपिक इस सेवा के उच्चवर्गीय लिपिकों की कोटि में स्वतः सदस्य हो जायेंगे।

13- इस संवर्ग में निम्नवर्गीय लिपिक की वरीयता का अवधारण- इस नियमावली के अधीन इस सेवा में भर्ती किये गये निम्नवर्गीय लिपिक की पारस्परिक वरीयता आयोग द्वारा अनुशंसित मेधा सूची के अनुसार अवधारित की जायेगी। इस सेवा के सदस्यों की सम्मिलित वरीयता का निर्धारण राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर निर्धारित सिद्धांतों एवं प्रक्रिया के अनुसार होगा।

14- प्रोन्नति- इस संवर्ग के मूल कोटि से उच्चतर कोटि में प्रोन्नति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर, वरीयता एवं कालावधि संबंधी विहित प्रावधानों के अधीन विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जा सकेगी। विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा अलग से आदेश निर्गत कर किया जाएगा।

15- अवशिष्ट मामले- ऐसे मामलों के संबंध में, जो इस नियमावली द्वारा विशिष्ट रूप से आच्छादित नहीं हैं, संवर्ग के सदस्य, राज्य सरकार के समुचित स्तर के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिए लागू नियमावली, विनियमावली या आदेशों से शासित होंगे।

16- कठिनाईयों का निराकरण- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग समय-समय पर ऐसा सामान्य या विशेष निदेश जारी कर सकेगा, जो इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के कार्यन्ययन में आ रही कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक हो।

17- शिथिल करने की शक्ति- जहाँ राज्य सरकार की यह राय हो कि नियमावली का कोई प्रावधान शिथिल करना आवश्यक एवं समीचीन है, वहाँ राज्य सरकार लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाला कारणों से, आदेश द्वारा किसी व्यक्ति या किसी कोटि के संबंध में इस नियमावली के प्रावधानों को शिथिल कर सकेगी।

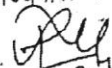
18- निर्वचन- जहाँ इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो वहाँ, मामला विभाग के पास भेजा जाएगा तथा विधि विभाग के परामर्श के पश्चात्, विभाग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

9

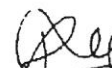
19- निरसन एवं व्यावृत्ति (1) पूर्व में निर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिपिक सेवा संवर्ग नियमावली, 2008 एवं इससे संबंधित संकल्प/नियमावली/आदेश आदि एतद्वारा निरसित किए जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी पूर्व में निर्गत संकल्प/नियमावली/आदेश आदि के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया समझा जाएगा, मानो यह नियमावली इस तिथि को प्रवृत्त थी जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य या ऐसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

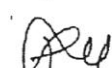
बिहार के राज्यपाल के आदेश से,


सरकार के सचिव
27.2.19.

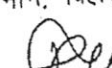
ज्ञापांक:- संख्या-02/क्षो स्था0-15-04/2006-588 पटना, दिनांक- 27-02-2019
प्रतिलिपि:-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2019 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन उक्त नियमावली का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।


सरकार के सचिव
27.2.19

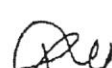
ज्ञापांक:- संख्या-02/क्षो स्था0-15-04/2006-588 पटना, दिनांक- 27-02-2019
प्रतिलिपि:-अधीक्षक, सचिवालय प्रेस, गुलजारबाग को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
अनुरोध है कि इसकी 200 अतिरिक्त प्रति विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


सरकार के सचिव
27.2.19

ज्ञापांक:- संख्या-02/क्षो स्था0-15-04/2006-588 पटना, दिनांक- 27-02-2019
प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/विधि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव
27.2.19

ज्ञापांक:- संख्या-02/क्षो स्था0-15-04/2006-588 पटना, दिनांक- 27-02-2019
प्रतिलिपि:-सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप निर्देशक कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव
27.2.19.